कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमाकः– शिविरा–मा/शाला दर्पण/स्टार रेटिंग/2019/ 5 दिनांक :– 27/9/2019

रजिस्टर्ड

उपशासन सचिव–प्रथम
शिक्षा (ग्रुप–I) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय :– बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर राजकीय मा.वि./उमावि को स्टार रेटिंग देने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियों के आकलन से विद्यालय के संचालन एवं सुधार एवं इस हेतु योजना बनाने एवं अन्य विद्यालयों की प्रतिस्पर्धात्मक तुलना हेतु शैक्षिक स्तर की जानकारी लेने में सहजता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राजकीय विद्यालयों के बोर्ड कक्षाओं (कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12) के बोर्ड परीक्षा में प्रवेशित विद्यार्थियों, परीक्षा परिणाम तथा परीक्षा परिणाम में गुणवत्ता को आधार बनाते हुए स्टार रेटिंग तय की जाकर उसे शाला दर्पण पर प्रदर्शित किया गया था तथा विद्यालयों को भी ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया था। इससे विद्यालय का वर्तमान स्तर जानना वरन् उसके सुधार हेतु आवश्यक उपाय करने में भी सहायता भी प्राप्त हुई।

स्टार रेटिंग निर्धारण में बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणाम प्रतिशत तथा परिणाम की गुणात्मक उपलब्धि को आधार बनाया गया था। परीक्षा परिणाम में गुणात्मक वृद्धि के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए स्टार रेटिंग निर्धारण में गुणात्मक परिणाम के भारांक को अधिक महत्व दिया जाना उचित है। अतः उक्तानुसार स्टार रेटिंग मानदण्ड में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है:–

1. कक्षा दस के लिए निम्नलिखित तालिका अनुसार बदलाव किए गए है:–

Star rating	Pass percentage (No change)	First Division (updated)	विवि
5 Star schools	>90%	>40%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 90% से अधिक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40% से अधिक हो
4 Star schools	>90%	=<40%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 90% से अधिक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40% या कम हो
3 Star schools	60% to 90%	>40%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से 90% तक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40% से अधिक हो
2 Star schools	60% to 90%	=<40%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से 90% तक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40% या कम हो
1Star schools	<60%	-	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से कम हो

2. कक्षा बारहवीं के लिए निम्नलिखित तालिका अनुसार बदलाव किए गए है:–

Star rating	Pass percentage (No change)	First Division (updated)	विवि
5 Star schools	>90%	>60%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 90% से अधिक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 60% से अधिक हो
4 Star schools	>90%	=<60%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 90% से अधिक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 60% या कम हो
3 Star schools	60% to 90%	>60%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से 90% तक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 60% से अधिक हो
2 Star schools	60% to 90%	=<60%	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से 90% तक तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 60% या कम हो
1Star schools	<60%	-	बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से कम हो

3. कक्षा आठवीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यालयों को प्रदान स्टार रेटिंग के नियमों को बदलाव नहीं किए गए है इन्हें पूर्वानुसार रखना उचित है।

अतः विद्यालयों को परीक्षा परिणाम के आधार पर स्टार रैटिंग का नवीन मानदण्ड अनुमोदन करावें तथा इसे शाला दर्पण पर ऑनलाईन तैयार कराने हेतु एनआईसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिलाने का श्रम करावें। जिससे गुणात्मक परिणाम को स्टार रेटिंग में महत्व मिल सके।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.Rajegyan.in

क्रमाकः– शिविरा–मा/शाला दर्पण/स्टार रेटिंग/2019/6-9 दिनांक :– 27/9/19

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, शिक्षा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना समन्वयक, रमसा, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी रमसा को कार्यक्रम तैयार कराने हेतु
5. रक्षित पत्रावली

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.Rajegyan.in